

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक- 15-6-2019

**->कार्यालय ध्याप->**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु विद्यार्थी स्तरीय संस्थायी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अर्जितित एवं संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि/कर्म हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-2 में डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा चर्चा-विचार-विमर्श का निष्पत्तु निर्णय लिया गया -

**संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं तुलने अंकित प्रवेश अंशगत हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	संलग्नक-1 में अंकित शर्तों के अनुसार 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अंशगत	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अंशगत
1	2563	पूर्व से संबंधित अर्जितित/टीकनकन/सहायक/सौरा/संयोजित/संयोजित/संयोजित/संयोजित	सिग्नल इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर ग्राफिक्स एंड इमेजिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	60 60 30 30	60 60 30 30

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- संस्था एम्प्लॉयमेंट/टीकनकन द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एएल-2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तथा वार्षिक हेतु प्रत्येक हेतु 80-150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यकारी पाठ्यक्रम हेतु 80-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय स्तरीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत) हेतु 80-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य/प्रत्येक से शुल्क का सम्बद्ध में सम्बद्ध-समय पर सातम द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सालानादेखें प्रती होयें, और नदुनत कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीरत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु वीरत का निर्धारण किया जाता है, तो वीरत की नवीनतम दर लागू होगी।
- संस्था को 2020 प्राविधिक शिक्षा समिति तथा उन समितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही प्रवेश दिए जायें। सीटों के विचार में होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सातम के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सव्यवस्था सुनिश्चित करवा करवा होगा।
- ✓ संस्था को 90आइसीओआईई से आगामी रात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था फलतः प्रदेश शासन द्वारा मंचाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, चण्डीगढ़, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 0000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 0000 द्वारा मंचाये गये निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ किल्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम की संरक्षक यदि पीसीआई, गई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किल्लोमा इन कार्मेली की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी वायदा किया जाता है तथा वायदा एवं के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किल्लोमा इन कार्मेली की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति उत्तरदायित्व संस्था को करनी होगी।
- ✓ किल्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व पीसीआईई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा चूना प्रवेश की (फाउन्डेशन) की माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रदेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत न्यूनतम आक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-संज्ञा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, फाइनांस शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञापन-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक गति के संबंध में समस्त आवश्यक-आवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासनिक/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध सारांश गये अभिलेख, नमि-नाम, कर्मिक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था संचालन का प्रयोग किल्लोमा इन कार्मेली के लिए कर रही है तब तत्काल संस्था की सव्यवस्था समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ सव्यवस्था नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा सतर्कता का उपलक्षण किये जाने का विधि में विभागानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पू0सं0- प्राशिव/परिषद सव्यवस्था/2019/1133-2252

त-दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, चूना कॉलेज ऑफ टेक्निकल स्टडीज, गीरा मोहनगालनज, रायबरेली रोड, लखनऊ।

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / कार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैकिए सत्र 2020-21 हेतु किन्हीं राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को कम्प्यूट प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-13 में किलोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित किलोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किलोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0टी0ई0/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2743	सूर्य कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कोरा मोहनपुरा नगर, रायबरेली जिला, लखनऊ।	सिस्टिम इंजीनियरिंग कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युटेशन इंजीनियरिंग	60 60 30 30	60 60 30 30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0टी0ई0/पी0एल0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निश्चयन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन सौ बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष, दो सौ बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष हेतु 30-150.00/- प्रतिवर्ष, दो सौ बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष हेतु 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख दो सौ बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष (दो सौ बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त) हेतु 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों का पालन होगा, और उपरोक्त

*CM*

- कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो पीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को 10000 प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना/विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सारनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुक्त जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एग्राइंडेन्सी/टीआई/वीआईआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/सारनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनाये गये विनियम, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम को संस्थाएँ यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध यावर किया जाता है तथा बाध यावर के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयिक) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आवेक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टॉक, सत्र-संयोजन, उपकरण, प्राप्य किया जाने वाला मुल्य, छात्रवृत्त मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर टोकन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बताया जाने हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सूचना, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुमति भी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(200 आरकेओ सिट)  
सचिव

पृ०सं०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिनिधि-अमानुअर/निदेशक, स्वर्ण कॉलेज ऑफ टैनिंगकल स्टडीज, गौरा मोहनलाल गंज, रायबरेली रोड, लखनऊ।

(200 आरकेओ सिट)  
सचिव